न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स / 18 / 2019

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

नाबालिग प्रमिला कौर पुत्री बदनसिंह सरपररस्त पिता खुदवदन सिंह जाति माली सा0 कुम्हेर गेट भरतपुर, तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

...........अप्रार्थी

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, बाबत आराजी खसरा नम्बर 2621, 2655, 2657 ग्रांम कस्बा भरतपुर चक नं.02 तहसील भरतपुर।

उपस्थित :-

1-पैरोकार सरकार प्रार्थी

2-श्री हनुमानप्रसाद गोयल, अभिभाषक अप्रार्थी0

दिनांक 21.05.2025

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार भरतपुर ने यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, इस आश्य का पेश किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है जमाबन्दी सम्वत 2026 में गत आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 1 बीघा 04 विस्वा व खसरा नम्बर 1012 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा पर लौहरे पुत्र टुण्डे माली सा0 कुम्हेर दरवाजा गैर खातेदार दर्ज था। गत आराजी से बने हाल आराजी खसरा नम्बर 2621/0.09, 2655/0.03, 2657/0.03 है0 कस्बा भरतपुर चक-2 बने हैं। लोहरे पुत्र टुण्डे माली के मृत्यू के बाद अप्रार्थी ने उक्त विवादित आराजी पर विरासतन व अन्य तरीकों से नियमों के खिलाफ अनुचित रुप से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। विवादित आराजी नगर परिषद/नगर विकास न्यास भरतपुर की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित है एवं आबादी क्षेत्र से सटी हुई भूमि है एवं मौके पर वर्तमान में यह भूमि सी. एफ.सी.डी. के बहाव क्षेत्र में है। अप्रार्थी ने मिलीभगत करके जल भराब सी.एफ.सी.डी. क्षेत्र की भूमि पर नियमों के विपरीत खातेदारी प्राप्त कर ली है जो माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रक्ष्य में अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजी को पुनः सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी0 की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद गोयल का वकालतनामा पेश हुआ जो

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

शामिल मिसिल किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 2.05 कस्वा भरतपुर चक–2 स्थित है जिसके हाल 2621 / 0.09, 2655 / 0.03, 2657 / 0.03 है0 कस्बा भरतपुर चक नम्बर–2 बनाये गये हैं उक्त विवादग्रस्त आराजी भरतपुर सी.एफ.सी.डी. पानी बहाब क्षेत्र में स्थित हैं। इस सम्बन्ध में पैरोकार सरकार ने गूगल कैड मैप पेश किया तथा उक्त नक्शे में अंकित उक्त विवादित खसरा नम्बरान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि ये खसरा नम्बर सी.एफ.सी.डी. पानी बहाब क्षेत्र में स्थित हैं। माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार का उल्लेख करते हुये हाल आराजी खसरा नम्बर 2621 / 0.09, 2655 / 0.03, 2657 / 0.03 है0 पर अप्रार्थी ने नियमों के विपरीत अपने नाम गैर खातेदारी इन्द्राज दर्ज करा लिये हैं। पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित आराजी पानी बहाव सी.एफ.सी.डी. में स्थिति है, ऐसी भूमियों पर किसी भी प्रकार से खातेदारी / गैरखातेदारी नहीं दी जा सकती है। पैरोकार सरकार ने विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज गैर खातेदारी इन्द्राजात को निरस्त कराये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जे खातेदारी अधिकार चले आ रहे हैं। विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी बहाव क्षेत्र में नहीं आती है। तहसीलदार ने गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2026 ग्रांम कस्वा चक नं.2 भरतपुर का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2026 में गत आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 2.05 कस्वा भरतपुर चक–2 पर लोहरे पुत्र टुण्डे माली साकिन कुम्हेर दरवाजा, गैर खातेदार का अंकन हो रहा है। जिसके हाल खसरा नम्बर 2621 / 0.09, 2655 / 0.03, 2657 / 0.03 है0 कस्बा भरतपुर चक नम्बर–2 बने हैं। पत्रावली में शामिल मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट में पटवारी ने अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 2621 / 0.09, 2655 / 0.03, 2657 / 0.03 है0 की मोका स्थिति का पता

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

लगाने हेतु मौके पर पहुंचा, उक्त खसरा नम्बरान मौके पर सी.एफ.सी.डी. बहाव क्षेत्र में स्थित हैं, इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी ने गूगल कैड मैप पेश किया जिसमें आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 2621 / 0.09, 2655 / 0.03, 2657 / 0.03 है0 सी.एफ.सी.डी. बहाव क्षेत्र में स्थिति होना स्पष्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में ऐसी भूमियों पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को गैखातेदारी / खातेदारी नहीं दी जा सकती है। विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी. भरतपुर शहर का गन्दा पानी एवं वर्षात का पानी बाहर निकलता है। अस्तु माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय / आदेश की परिप्रेक्ष्य में विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी. पानी बहाब क्षेत्र में स्थित / दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2621 / 0.09, 2655 / 0.03, 2657 / 0.03 है0 पर हो रहे अप्रार्थी के नाम दर्ज गैरखातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2621 / 0.09, 2655 / 0.03, 2657 / 0.03 है0 कस्बा चक नं. 2 भरतपुर पर अप्रार्थी के गैरखातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्व की भांति राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर